MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN

ON

CO-OPERATION IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY

The Ministry of New and Renewable Energy of the Government of the Republic of India and the Ministry of Electricity and Water Authority, Government of the Kingdom of Bahrain (hereinafter referred to as the "Parties" and individually as the "Party").

Having identified New and Renewable Energy as a common area of interest; and

Desiring to establish Cooperation between the Indian and Bahrain entities with the aim of developing New and Renewable Energy Technologies.

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

ARTICLE I
OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish the basis for a cooperative institutional relationship to encourage and promote bilateral technical cooperation on new and renewable energy on the basis of mutual benefit, equality and reciprocity between the Parties.

ARTICLE II
AREAS OF COOPERATION

The Parties will, subject to the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavor to take necessary steps and promote cooperation in renewable energy. The cooperation will focus on following areas for development of new and renewable energy technologies:

i) Solar Energy

ii) Small Hydro

iii) Wind Energy

iv) Biomass/Bio-energy

v) Capacity building

ARTICLE III
MODALITIES OF COOPERATION

Cooperation under this Memorandum of Understanding (MoU) may take the following modalities:

i. Exchange and training of scientific and technical personnel;

ii. Exchange of scientific and technical information and data;

iii. Organization of workshops, seminars and working groups;

iv. Transfer of equipment, know-how and technology on non-commercial basis;

v. Development of joint research or technical projects on subjects of mutual interest; and

vi. Other modalities as may be decided upon by the Parties.

ARTICLE IV
JOINT WORKING GROUP

In order to coordinate the above mentioned activities and decide upon project proposals related to design and development of various new and renewable energy technologies, the Parties will establish a "Joint Working Group" (JWG) with the following functions:-

i. Identifying areas of mutual interest and cooperation for development of new and renewable energy technologies, systems, devices, components etc.;

ii. Monitoring and evaluating cooperation activities; and

iii. Any other activity as may be agreed upon by the Parties in writing.

The Parties will designate one main representative from each side to the Joint Working Group for the aforesaid activities. The Joint Working Group will at the extent possible conduct the work through electronic communication, but meet alternately in India and Bahrain, whenever considered necessary.

The Joint Working Group can co-opt other members from scientific institutions, research centres, universities or any other entity, as and when considered essential.

ARTICLE V
FINANCING

Each Party will bear all the costs of its own in all programmes of cooperation and in the meetings of implementing agencies of Joint Working Group contemplated under this MoU.

ARTICLE VI
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute concerning the interpretation or application of this MoU shall be settled amicably through mutual consultation and / or negotiations between the Parties.

ARTICLE VII
AMENDMENTS

This MoU can be amended, revised or modified by mutual decision of the Parties through exchange of letters between the Parties.

ARTICLE VIII
ENTRY IN TO FORCE, DURATION AND TERMINATION

This MoU shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of five (5) years. Thereafter this MoU will be renewable by the mutual written consent of the Parties, unless either of the Parties decides to terminate the same. Such decisions will be communicated in writing to the other Party at least three (3) months prior to its termination. The termination of this MoU will not affect the validity and duration of any on-going programme and projects under this MoU.

This MoU is not legally binding and does not create any rights or obligations for the Parties under international law.

IN WITNESS THERE OF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed at Manama on the 15th of July 2018 in two (2) originals, each in Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of India	For the Government of the Kingdom of Bahrain
Smt. Sushma Swaraj	**Shaikh Khalid bin Ahmed bin Mohamed AlKhalifa**
Minister of External Affairs	**Minister of Foreign Affairs**

49854/2018/IR-MNRE

भारत गणराज्य की सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा किंगडम ऑफ बहरीन की सरकार के विद्युत और जल संबंधी मामलों के मंत्रालय के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य की सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और किंगडम ऑफ बहरीन की सरकार का विद्युत और जल संबंधी मामलों का मंत्रालय (जिन्हें इसके पश्चात् "पक्षों" तथा एकल रूप से "पक्ष" कहा गया है)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को परस्पर हित के क्षेत्र के रूप में पहचान करते हुए; और भारत और बहरीन के बीच नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के उद्देश्य से सहयोग स्थापित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए।

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद-I
उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच परस्पर हित, समानता और पारस्परिकता के आधार पर नवीन और अक्षय ऊर्जा पर द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और प्रोन्नत करने हेतु सहयोगात्मक संस्थागत संबंध के लिए आधार तैयार करना है।

अनुच्छेद-II

सहयोग के क्षेत्र

दोनों पक्षों द्वारा अपने संबंधित देशों में इस विषयवस्तु के अधिशासन से संबंधित समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय नीतियों के अध्यधीन अक्षय ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के प्रयास किए जाएंगे। सहयोग में नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों पर बल दिया जाएगाः-

क) सौर ऊर्जा

ख) लघु पन बिजली

ग) पवन ऊर्जा

घ) बायोमास/बायो ऊर्जा

ङ) क्षमता निर्माण

अनुच्छेद-III

सहयोग की प्रणालियाँ

इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत सहयोग की निम्नलिखित प्रणालियाँ हो सकती हैं:-

क. वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण;

ख. वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी और आंकड़ों का आदान-प्रदान;

ग. कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और कार्यदलों का आयोजन;

घ. गैर वाणिज्यिक आधार पर उपकरण, जानकारी और प्रौद्योगिकी का अंतरण;

ङ. परस्पर हित के विषयों पर संयुक्त अनुसंधान अथवा तकनीकी परियोजनाओं का विकास; और

च. पक्षों द्वारा निर्धारित की गई अन्य प्रणालियाँ।

अनुच्छेद-IV

संयुक्त कार्यदल

ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों का समन्वय करने तथा विभिन्न नवीन एवं अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अभिकल्पन और विकास से संबंधित परियोजना प्रस्तावों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से पक्षों द्वारा एक "संयुक्त कार्यदल" (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना की जाएगी जिसके निम्नलिखित कार्य होंगेः-

क. नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों, उपकरणों, संघटकों आदि के विकास के लिए परस्पर हित और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना;

ख. सहयोग संबंधी कार्यकलापों का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना; और

ग. पक्षों द्वारा लिखित में हुई सहमति के अनुसार कोई अन्य कार्यकलाप।

दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त कार्यदल में उपरोक्त कार्यकलापों के लिए प्रत्येक पक्ष की ओर से एक-एक मुख्य प्रतिनिधि नामित किया जाएगा। संयुक्त कार्यदल द्वारा यथा संभव अपने कार्यों का संचालन इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से किया जाएगा लेकिन जब कभी आवश्यक समझा जाए इसकी बैठक भारत और बहरीन में बारी-बारी से आयोजित की जाएगी।

संयुक्त कार्यदल द्वारा जब और जिस प्रकार आवश्यक समझा जाए वैज्ञानिक संस्थानों, अनुसंधान केन्द्रों, विश्वविद्यालयों अथवा किसी अन्य संस्था से दूसरे सदस्यों को सहयोजित किया जा सकता है।

अनुच्छेद-V

वित्तपोषण

प्रत्येक पक्ष द्वारा इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत विचारित अपने सभी सहयोग कार्यक्रमों और संयुक्त कार्यदल की कार्यान्वयन एजेंसियों की बैठकों में होने वाले व्ययों का वहन स्वयं किया जाएगा।

अनुच्छेद-VI

विवादों का निपटान

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या अथवा इसे लागू किए जाने से संबंधित किसी प्रकार के विवाद का निपटान पक्षों के बीच परस्पर विचार-विमर्श और/अथवा वार्तालाप के माध्यम से सौहार्दपूर्वक किया जाएगा।

अनुच्छेद-VII

संशोधन

इस समझौता ज्ञापन को दोनों पक्षों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से पक्षों की परस्पर सहमति से संशोधित, पुनरीक्षित अथवा परिमार्जित किया जा सकता है।

अनुच्छेद-VIII

लागू होना, अवधि और समापन

यह समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर किएं जाने की तारीख से लागू होगा और पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा। तत्पश्चात् इस समझौता ज्ञापन को पक्षों की लिखित सहमति से नवीकृति किया जा सकता है जब तक कि दोनों में से कोई एक पक्ष इसे समाप्त करने का निर्णय नहीं ले लेता है। इस प्रकार के निर्णय दूसरे पक्ष को इसे समाप्त किए जाने के कम से कम तीन (3) माह पहले लिखित में परिचालित किए जाएंगे। इस समझौता ज्ञापन के समाप्त किए जाने से इसके अंतर्गत किसी चल रहे कार्यक्रम और परियोजनाओं की वैधता और अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) कानूनी रूप से बाध्यकर नहीं है और पक्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत किन्हीं अधिकारों अथवा बाध्यताओं का सृजन नहीं करता है।

जिसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्त्ताओं, जिन्हें उनकी संबंधित सरकारों ने विधिवत् प्राधिकृत किया है, द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मनामा में आज 2018 के जुलाई माह के 15 वें हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में से प्रत्येक में दो (2) मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से

सुषमा स्वराज

श्रीमती सुषमा स्वराज
विदेश मंत्री

बहरीन की सरकार के विद्युत और जल संबंधों मामलों के मंत्रालय की ओर

श्री शेख खालिद बिन अहमद बिन मोहम्मद अल खलीफा, विदेश मंत्री